भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 577

09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तम्बाकू की बिक्री और उपभोग

577. श्री शंकर लालवानी:
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:
डॉ. भारतीबैन डी. श्याल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों द्वारा तम्बाकू की बिक्री और खरीद के मामले में जुर्माने और दंड के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर युवा पीढ़ी/नाबालिगों में तम्बाकू के उपभोग को कम करने/रोकने के लिए विनियमन लाने का है और यदि हां, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) युवा पीढ़ी/नाबालिगों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003), की धारा 24 के अनुसार, कुछ निश्चित स्थानों या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने पर सजा का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनकी संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 के मसौदे को विधायी-पूर्व परामर्श हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

(घ): युवा पीढ़ी/नाबालिगों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं;

- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011 के साथ पठित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा 6 (क) के अनुसार **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है** तथा सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (ख) के अनुसार **किसी भी शिक्षण संस्थान से सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।**

- मंत्रालय ने 31 मई, 2019 को सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु **तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए दिशानिर्देश** (संशोधित) भी जारी किए हैं; राज्य इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभागों के साथ मिल कर प्रभावी उपाय कर रहे हैं।

- जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार ने सीओटीपीए, 2003 के इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से प्रवर्तन अभियान चलाने का अनुरोध किया है।

- विभिन्न तंबाकू रोधी अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य पर तंबाकू के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नियमित रूप से और निरंतर जागरूकता फैलाई जाती है।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
		जुर्माने से दंडित लोगों की संख्या	जुर्माने से दंडित लोगों की संख्या	जुर्माने से दंडित लोगों की संख्या	जुर्माने से दंडित लोगों की संख्या	जुर्माने से दंडित लोगों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	200
2.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	56	1	8
4.	असम	37	10	6	0	0
5.	बिहार	0	0	0	420	103
6.	छत्तीसगढ़	391	0	0	0	431
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	1027	771	16578	278	63
9.	गोवा	0	0	0	0	0
10.	गुजरात	73590	77540	89043	49202	25848
11.	हरियाणा	0	0	0	1	46
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	48
13.	जम्मू और कश्मीर (जम्मू डिवीजन)	2	1	25	6	6
	कश्मीर डिवीजन	0	0	0	0	0
14.	झारखंड	276	318	151	743	566
15.	लद्दाख	0	0	0	0	0
16.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	3836	1482	6818	5837	10403
18.	केरल	4500	4178	5073	1195	1815
19.	महाराष्ट्र	497	6642	3366	1272	2119
20.	मणिपुर	0	0	0	0	0
21.	मेघालय	0	151	64	0	8
22.	मिजोरम	48	117	40	0	7
23.	नगालैंड	0	0	0	0	0
24.	ओडिशा	637	356	734	2185	6627
25.	पुदुच्चेरी	25	24	68	0	28
26.	पंजाब	25139	23886	21633	8609	13956
27.	राजस्थान*	342637				
28.	सिक्किम	30	25	37	43	40
29.	तमिलनाडु	1129	2763	1946	1774	310
30.	तेलंगाना	0	101	320	952	182
31.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
32.	उत्तराखंड					

		216				
33.	**उत्तर प्रदेश**	84	95	23	19	149
34.	**पश्चिम बंगाल**	1264				

* कोटपा, 2003 की धारा 4 और 6 के संयुक्त आंकडे।

******